Statement-I

Number of bidi workers in country state-wise and those covered under E.P.F. Scheme.

S. No.	State	No. of Beedi Workers	No. of Beedi Workers covered E.P.F. as on 31-3-1992
1.	Karnataka	3,55,244	2,63,398
2.	Kerala	1,21,331	1,02,632
3.	Uttar Pradesh	4,50,000	0,01,750
4.	Rajasthan	2,79,000	0,07,902
5.	Gujarat	2,03,000	0,00,418
6.	Orissa	1,60,000	0,05,160
7.	West Bengal	4,50,000	0,37,158
8.	Tripura	0,05,000	—
9.	Assam	0,07,725	—
10.	Andhra Pradesh	6,00,000	2,87,657
11.	Tamilnadu	6,00,000	2,61,348
12.	Madhya Pradesh	6,00,000	0,71,643
13.	Maharashtra	2,50,000	1,18,637
14.	Bihar	3,91,500	0,02,847
15.	North Eastern Region	—	0,00,642
	TOTAL	44,72,800	11,61,191

Statement-II

Number of bidi workers benefited from the Bidi Workers Welfare Schemes

(i)	No. of workers benefited under the housing scheme for Economically Weaker Sections of beedi industry	17496
(ii)	No. of workers benefited under the Build Your Own House Scheme	2622
(iii)	No. of beneficiaries under the scheme for award of scholarships to the wards of beedi workers	274854
(iv)	No. of beneficiaries under the Maternity Benefit Scheme	27333
(v)	No. of beneficiaries under the Group Insurance Scheme	1041610

Beneficiaries of PDS

3258. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring about changes in the composition of beneficiaries from the public distribution system, if so, the details thereof; and

(b) whether Government also propose to ensure the availability of essential items in the open market so as to avoid any disruption in distribution of essential commodities to all consumers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (to) At the 14th meeting of Advisory Council on Public Distribution

System held in July, 1992, State Governments/UT Administrations requested the Central Government to evolve a 'National Policy on PDS' so that the benefits of PDS are restricted only to the needy and deserving. The Central Government is examining the suggestion. Views and suggestions of State Governments have also been sought. Some State Governments have excluded certain categories of consumers from having access to the PDS. As per the present policy of Central Government, entitlement to PDS is universal. Quantities of Rice, Wheat and Sugar distributed through PDS are meant to supplement open market availability of such commodities. State Governments have been delegated powers under the Essential Commodities Act, 1955 to take action against malpractices leading to disruption in availability of essential items, hoarding etc.

उत्तर प्रदेश में सहकारी उपभोक्ता समितियां

3259. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कितनी सहकारी उपभोक्ता समितियां गठित की गईं;

(ख) क्या इन सहकारी समितियों के कार्यकरण के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सहकारिता राज्य का विषय है । इन्हें खोलने, इनका पंजीकरण करने और सभी गतिविधियां संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम और नियमों से शासित होती हैं और इन समितियों का पर्यवेक्षण संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक करते हैं । मांगी गई सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है और उसे राज्य सरकार से मंगाया गया है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार का उपभोक्ता सहकारी समितियां/भण्डार चलाने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में उचित दर दुकानें

3260. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में उचित दर दुकानें खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में जिलावार ऐसी कितनी-कितनी दुकानें खोली गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये उचित दर दुकानें जनसंख्या के अनुपात में नहीं हैं; और

(घ) उचित दर दुकानें खोलने संबंधी निदेश और मानदण्ड क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 74,238 उचित दर की दुकानें थीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में संचालन-संबंधी जिम्मेदारी, जिसमें उचित दर की दुकानें खोलना शामिल है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है । राज्य सरकारें किसी उचित दर की दुकान की मंजूरी देने से पूर्व आबादी की आवश्यकताओं तथा किसी केन्द्र की आर्थिक